Mail

प्रेषक

महानिदेशक
परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः प0क0 / महा0निदे0कैम्प / Covid /2020-21/873-75 दिनांकः 07 अप्रैल 2020

विषयःकोरोना वायरस(कोविड–19)की रोकथाम में तैनात चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या– 217 / पॉच–9–2020 दिनांक 05 अप्रैल 2020 एवं पत्र संख्या–216 / पॉच–9–2020 दिनांक 04 अप्रैल 2020 का संदर्भ ग्रहण करे। शासनादेश में कोरोना वायरस(कोविड–19)की रोकथाम में तैनात चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ(टीम के सभी कार्मिको को) को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने हेतु 500 / – प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति दर अनुमन्य किया गया है।

विभाग की जानकारी में आया है कि कुछ जनपदों में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ(टीम के सभी कार्मिको को) को गुणवत्तापूर्ण भोजन नही उपलब्ध कराया जा रहा है जो बहुत ही खेद का विषय है तथा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियो के विरूद्ध अलग से कार्यवाही की जायेगी।

चूँकि स्तर–1 समर्पित इकाई में सेवारत चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ अत्यधिक विषम परिस्थितियों में कार्य करेंगे एवं उनको मानसिक रूप से सबल किया जाना आवश्यक है अतः ऐसी परिस्थिति में एवं समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के दृष्टिगत स्तर–1 फैसिलिटी में सक्रिय संगरोध के रख–रखाव, आवासीय दर एवं आने वाले खान–पान की दरों की सीमा तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के माध्यम से सुसंगत मदों के अन्तर्गत व्यय किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की गयी है।

अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि जनपदों में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ(टीम के सभी कार्मिको को) को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे टीम की कार्यक्षमता बनी रहे।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय

07/04/2020

(बद्री विशाल)
महानिदेशक
मो0नं0–9454455538

पत्रांकः प0क0 / महा0निदे0कैम्प / Covid /2020-21 / दिनांकः अप्रैल 2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।

(बद्री विशाल)
महानिदेशक

संख्या-217/पाँच-9-2020

प्रेषक,

विजय विश्वास पन्त,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 05 अप्रैल, 2020

विषय: -कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम में तैनात चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ को आवासीय सुविधा (मय लाण्ड्री एवं भोजन) की दरों के निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-216/पाँच-9-2020 दिनांक 04.04.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 04.04.2020 के प्रस्तर-4 को निम्नवत संशोधित किया जाता है:-

(1) सक्रिय संगरोध को एल-1 इकाई के यथा संभव उसी परिसर में बनाया जाय तथा आवश्यकतानुसार महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा सक्रिय संगरोध के रख-रखाव हेतु एक मुश्त धनराशि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवंटित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।

(2) सक्रिय संगरोध में खान-पान हेतु महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा प्रस्तावित दर को ही माना जायेगा।

(3) जहां कहीं पर निष्क्रिय संगरोध हेतु अनुकूल व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वहाँ पर महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 की समिति द्वारा प्रस्तावित आवासीय दर एवं खान-पान की दर को ही माना जायेगा।

(4) जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदनोपरान्त सक्रिय संगरोध पर आने वाले खान-पान एवं निष्क्रिय संगरोध पर आने वाले खान-पान एवं आवासीय व्यवस्था पर आने वाले व्यय को उक्त शासनादेश दिनांक 04.04.2020 में प्रस्तुत दरों की सीमा तक एवं उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या-216/पाँच-9-2020 दिनांक 04.04.2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक में उल्लिखित अन्य शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,
(विजय विश्वास पन्त)
सचिव।

संख्या-216(1)/पाँच-9-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-
महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।

संख्या-216/पाँच-9-2020

प्रेषक,

विजय विश्वास पन्त,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 04 अप्रैल, 2020

विषय: -कोरोना वायरस (कोविड-19) की रोकथाम में तैनात चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टॉफ को आवासीय सुविधा (मय लाण्ड्री एवं भोजन) की दरों के निर्धारण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प0क0/महा0निदे0/कैम्प/2020-21/858, दिनांक 03.04.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-737/पांच-5-2020, दिनांक 27.03.2020 जिसमें प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में कोविड समर्पित स्तर-। चिकित्सा इकाईयां एवं आइसोलेशन वार्डस बनाने हेतु विस्तृत परिचालन दिशा-निर्देश दिये गये हैं, के बिन्दु संख्या-5 में सक्रिय एवं निष्क्रिय संगरोध सुविधा के लिये टीम की तैनाती एवं दोनों संगरोध सुविधा टीम में आवश्यक सुविधायें यथा आवश्यक भोजन, पानी, सुरक्षा, ठहरने एवं मरम्मत आदि की समुचित व्यवस्था कराये जाने हेतु भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

3- उल्लेखनीय है कि उक्त दोनो संगरोध में आवश्यक सुविधायें यथा खान-पान एवं रात्रि विश्राम आदि की समुचित व्यवस्था कराये जाने के दृष्टिगत सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय ज्ञाप संख्या-236/एस0एम0(वी0)/2020-21 दिनांक 02.04.2020 द्वारा महानिदेशक, परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति/कार्यवृत्त पत्र संख्या-प0क0/महा0निदे0/कैम्प/2020-21/857, दिनांक 03.04.2020 के क्रम में आपके पत्र संख्या-प0क0/महा0निदे0/कैम्प/2020-21/858, दिनांक 03.04.2020 के माध्यम से समिति की आख्या एवं प्रस्तावित रेट निम्नानुसार उपलब्ध करायी गयी है:-

क्र0सं0	नगर की श्रेणी	प्रति व्यक्ति संस्तुत धनराशि (रूपये में)
1	'ए' श्रेणी के नगर	1500/-
2	'बी' श्रेणी के नगर	1250/-
3	'सी' श्रेणी के नगर	1000/-

उपरोक्त के अतिरिक्त भोजन पर व्यय रू0 500/- (रूपये पांच सौ) प्रतिदिन, प्रतिव्यक्ति व्यय की भी संस्तुति समिति द्वारा की गयी है।

4- चूँकि स्तर-1 समर्पित इकाई में सेवारत चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ अत्यधिक विषम परिस्थितियों में कार्य करेंगे एवं उनकों मानसिक रूप से सबल किया जाना आवश्यक है। अतः ऐसी परिस्थिति में एवं उक्त समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के दृष्टिगत स्तर-1 फैसिलिटी में सक्रिय संगरोध के रख-रखाव, आवासीय दर एवं आने वाले खान-पान की दर को उपरोक्तानुसार संस्तुत दरों की सीमा तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0

PA Coron ful

के माध्यम से सुसंगत मदों के अन्तर्गत् व्यय किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की जाती है।

5- उपरोक्त स्वीकृति चिकित्सा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-737/पांच-5-2020, दिनांक 27.03.2020 एवं राजस्व अनुभाग-11 की अधिसूचना संख्या-195/एक-11-2020-रा0-11, दिनांक 24.03.2020 तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन होगी तथा जहाँ कहीं भी आवश्यक होगा सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जायेगा।

6- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 उपरोक्तानुसार धनराशि सुसंगत मदों के अन्तर्गत व्यय किये जाने हेतु पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(विजय विश्वास पन्त)
सचिव।

संख्या-216(1)/पाँच-9-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकर (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
2- महालेखाकर (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
3- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
4- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, उ0प्र0।
7- समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0।
8- अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
9- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण महानिदेशालय/एन0एच0एम0, उ0प्र0, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/चिकित्सा अनुभाग-5/6/राजस्व-11, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
विशेष सचिव।

Mail

प्रेषक

महानिदेशक
परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः प0क0/महा0निदे0कैम्प/ Covid/2020-21/ दिनांकः अप्रैल 2020

विषयःकोरोना वायरस(कोविड–19)की रोकथाम में तैनात चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या– 217/पॉच–9–2020 दिनांक 05 अप्रैल 2020 एवं पत्र संख्या–216/पॉच–9–2020 दिनांक 04 अप्रैल 2020 का संदर्भ ग्रहण करे। शासनादेश में कोरोना वायरस(कोविड–19)की रोकथाम में तैनात चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ(टीम के सभी कार्मिको को) को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने हेतु 500/– प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति दर अनुमन्य किया गया है।

विभाग की जानकारी में आया है कि कुछ जनपदों में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ(टीम के सभी कार्मिको को) को गुणवत्तापूर्ण भोजन नही उपलब्ध कराया जा रहा है जो बहुत ही खेद का विषय है तथा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियो के विरूद्ध अलग से कार्यवाही की जायेगी।

चूॅकि स्तर–1 समर्पित इकाई में सेवारत चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ अत्यधिक विषम परिस्थितियों में कार्य करेंगे एवं उनको मानसिक रूप से सबल किया जाना आवश्यक है अतः ऐसी परिस्थिति में एवं समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के दृष्टिगत स्तर–1 फैसिलिटी में सक्रिय संगरोध के रख–रखाव, आवासीय दर एवं आने वाले खान–पान की दरों की सीमा तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 के माध्यम से सुसंगत मदों के अन्तर्गत व्यय किये जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष प्रदान की गयी है।

अतः आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि जनपदों में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ(टीम के सभी कार्मिको को) को गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे टीम की कार्यक्षमता बनी रहे।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार

भवदीय

(बद्री विशाल)
महानिदेशक
मो0नं0–9454455538

पत्रांकः प0क0/महा0निदे0कैम्प/ Covid/2020-21/948-97 दिनांकः07 अप्रैल 2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उत्तर प्रदेश।

05/04/2020

(बद्री विशाल)
महानिदेशक